भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3364

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सख्त लेबलिंग मानदंड

†3364. श्री डी. एम. कथीर आनंदः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पेय पदार्थ संबंधी कंपनियों द्वारा कम गूदे वाले रिकंस्टीट्यूटेड फल वाले "100 प्रतिशत जूस" जैसे भ्रामक विज्ञापन या भ्रामक दृश्यों का प्रयोग करने पर रोक लगाने के लिए सख्त लेबलिंग संबंधी मानदंड लागू किए हैं;
(ख) यदि हां, तो वर्ष 2023 से अब तक कितने उल्लंघनों की सूचना मिली है और कितना जुर्माना लगाया गया है;
(ग) क्या सरकार द्वारा पेय पदार्थों के लेबलों पर फलों अथवा गूदे की मात्रा की वास्तविक प्रतिशतता प्रदर्शित करने को अनिवार्य किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं विशेषकर बच्चों और माता-पिता को असली फलों के रस और कृत्रिम रूप से सुगंधित पेय पदार्थों के बीच अंतर के बारे में शिक्षित करने के लिए किस प्रकार से जागरूकता अभियान चलाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के अध्याय-2 के उप-विनियम 5(1) में निर्दिष्ट किया गया है कि: "खाद्य पदार्थ का नाम: खाद्य पदार्थ के प्रत्येक पैकेज पर पैक के सामने उस खाद्य पदार्थ का नाम अंकित होगा जो पैकेज में निहित खाद्य पदार्थ की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है।"

खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के उप-विनियम 4(1) में निर्दिष्ट किया गया है कि दावे सटीकता, स्पष्ट, सार्थक, भ्रामक नहीं होने चाहिए और उपभोक्ताओं को प्रदान की गई जानकारी को समझने में मदद करनी चाहिए।

लेबलिंग में दोष और अन्य संबंधित उल्लंघनों के मामलों में, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 और 53 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है। ये धाराएं क्रमशः गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों और भ्रामक लेबलिंग/दावों के लिए जुर्माना लगाने से संबंधित हैं। ऐसे उल्लंघनों को सिविल अपराध माना जाता है और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत प्रदत्त न्यायनिर्णयन तंत्र के माध्यम से उनका न्यायनिर्णयन किया जाता है। पिछले 3 वर्षों में लेबलिंग में त्रुटि/भ्रामकता सहित अनुपालन न करने के लिए दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग): खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के अध्याय-2 के उप-विनियम 5(2) में निर्दिष्ट किया गया है कि 'एकल घटक वाले खाद्य पदार्थों को छोड़कर, लेबल पर अवयवों की एक सूची घोषित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्माण के समय, उपयुक्त वजन या मात्रा के अनुसार, किसी घटक (यौगिक अवयवों या अवयवों की श्रेणियों सहित) का आने वाला प्रतिशत शामिल होगा, मिश्रण या संयोजन के रूप में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों के लिए इसका खुलासा किया जाएगा।

(घ): एफएसएसएआई नागरिकों को सूचित विकल्पों के लिए लेबल साक्षरता से सशक्त बनाने हेतु एक सोशल मीडिया जागरूकता अभियान, "#हर लेबल कुछ कहता है" चलाता है। आकर्षक सामग्री, इन्फोग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया पोस्ट उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जानकारी (कैलोरी, वसा, शर्करा, प्रोटीन, सर्विंग साइज़), सामग्री सूची, एलर्जेन चेतावनियाँ और तिथि चिह्न जैसे प्रमुख तत्वों के बारे में शिक्षित करते हैं। विभिन्न प्रदर्शनियों (जैसे - आईआईटीएफ, आहार) और मेलों (जैसे - फूड फेस्टिवल, ईट राइट मेला आदि) में लेबल जागरूकता कार्यकलापों (डिस्प्ले बोर्ड, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से) भी आयोजित की जाती हैं।

अनुलग्नक I

पिछले 3 वर्षों के प्रवर्तन का विवरण (फ्रूट ड्रिंक सहित)			
वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप पाए गए नमूनों की संख्या	शुरू किए गए मामलों की संख्या
2024-25	1,70,535	34,388	30,142
2023-24	1,70,513	33,808	29,586
2022-23	1,77,511	44,626	28,464

*****